2/17

आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट हरसौली में पेश हुई। उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रस्पो. की ओर से उप. प्रति. को सुना गया। रिकार्ड के अवलोकन से ग्राम पंचायत हरसौली द्वारा आलोच्य नामान्तरण सं. 4086 ग्राम हरसौली पर दिनांक 8-5-13 को पारित निर्णय विधिनुसार नहीं किया जाना साबित हो रहा है। आलोच्य आदेश दिनांक 8-5-13 खारिज योग्य है। नामान्तरण जांच का मामला ही इसलिये अधीनस्थ की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण आलोच्य नामान्तरण पर ग्राम पंचायत हरसौली का निर्णय दिनांक 8-5-2013 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार हरसौली को रिमाण्ड किया जाता है कि आलोच्य नामान्तरण पर विधिनुसार जांच कार्यवाही कर उस पर पुनः निर्णय पारित कर निस्तारण करें। अहकाम जारी हो। पत्रावली नम्बर से खारिज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट में सुनाया गया।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी:– रविन्द्र कुमार शर्मा (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 12/13 | दायर दिनांक 31/05/2013 | प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 12.11.13

उनवान

1 मिश्रोदेवी उम्र करीब 59 वर्ष धर्मपत्नि रामशरण जाति जाट निवासी हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर।

– अपीलाण्ट

बनाम

1 ग्राम पंचायत हरसौली तहसील कोटकासिम जरिये सरपंच ग्राम पंचायत हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर

2 वीरसिंह उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र रामशरण जाति जाट निवासी हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर

3 बिमलादेवी उम्र करीब 33 वर्ष पुत्री रामशरण जाति जाट निवासी ग्राम हरसोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर हाल पत्नि धर्मवीर जाति जाट निवासी पथरेडी तहसील मानेसर जिला गुडगांवा हरियाणा।

4 सरलादेवी उम्र 30 वर्ष पुत्री रामशरण जाति जाट निवासी हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर हाल पत्नि महावीर जाति जाट निवासी पथरेडी तहसील मानेसर जिला गुडगांवा हरियाणा।

5 सविता देवी उम्र करीब 28 वर्ष पुत्री रामशरण निवासी निवासी हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर हाल पत्नि रणीधीर जाति जाट निवासी मालियरजट तहसील तिजारा जिला अलवर

6 पितेश देवी उम्र करीब 23 वर्ष पुत्री रामशरण निवासी निवासी हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर हाल पत्नि मनोहर जाति जाट निवासी मालियरजट तहसील तिजारा जिला अलवर राज.

– रेस्पोडेन्टान

अपील इंतकाल संख्या 4086
ग्राम पंचायत हरसौली
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17
व दफा 151 जा.दी.

उपस्थित

1 श्री नरहरि व्यास -- अभिभाषक प्रार्थीया
2 श्री गिरधारी लाल – अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 व 4

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

निर्णय

प्रार्थीया मिश्रोदेवी ने जरिये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व दफा 151 जा.दी. इस न्यायालय मे पेशद किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उनवानी प्रकरण की अपील मे अपील दायरी के समय नामान्तकरण संख्या 4086 ग्राम पंचायत हरसौली तहसील कोटकासिम लिखते वक्त टाईपिस्ट द्वारा मानवीय भूल व सहवन से एंव नामान्तरकरण पडत मे खसरा नम्बर का ध्यान नही होने के कारण जमाबंदी से पूरे खाते के नम्बर दर्ज कर दिये गए जबकि उनके सम्बंध मे कोई अनुतोष नही चाहा गया है। लिहाजा अपील के अभिवचन मैमोरेन्डम ऑफ अपील संशोधन की मोहताज है इसलिए मैमोरेन्डम ऑफ अपील के पैरा संख्या 7 मे दर्ज खसरा नम्बरान 1965, 2409, 1518, 1924, 2102 डिलीट/ हजफ किये जावे एवं उक्त खसरा नम्बरा को डिलीट/ हजफ करते हुए मीमो ऑफ अपील को संशोधित किये जाने की ईजाजत प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण/ रेस्पो. अभिभाषक को दी गयी अप्रार्थीगण वकील द्वारा कोई जवाब प्रार्थना पत्र का पेश नही किया प्रार्थना पत्र के बहस सुनी गयी।

प्रार्थीया/ अपीलाण्ट ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया और कहा कि दायरी अपील नामान्तरकरण संख्या 4086 ग्राम पंचायत हरसौली तहसील कोटकासिम लिखते वक्त टाईपिस्ट द्वारा मानवीय भूल व सहवन से एंव नामान्तरकरण पडत मे खसरा नम्बर का ध्यान नही होने के कारण जमाबंदी से पूरे खाते के नम्बर दर्ज कर दिये गए, तथा उनके सम्बंध मे कोई अनुतोष नही चाहा गया है। इसलिए मैमोरेन्डम ऑफ अपील के पैरा संख्या 7 मे दर्ज खसरा नम्बरान 1965, 2409, 1518, 1924, 2102 को डिलीट/ हजफ किये जाकर मीमो ऑफ अपील को संशोधित किये जाने की ईजाजत प्रदान की जावे। प्रार्थीया अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत **AIR 1968 Supreme Court 1165 (V 55 C 225), AIR 1978 Patna 322** पेश किये।

अप्रार्थीगण अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो एवं प्रार्थीया अभिभाषक की बहस का विरोध नही किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया की बहस का मनन किया, न्यायिक दृष्टांत एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रकरण मे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व दफा 151 जा.दी स्वीकार किया जाता है। अपील के पैरा संख्या 7 मे दर्ज खसरा नम्बरान 1965, 2409, 1518, 1924, 2102 हजफ किये जाते है। संशोधित अपील पेश की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.13 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईज्लास सुनाया गया।

(रविन्द्र कुमार शर्मा)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner